अनुलग्नक-४

(17) (28)

पत्रांक– 188 /आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनूप मुखर्जी,
मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।

पटना–15, दिनांक– 14/1/10

विषयः राज्य में लोगों को भुखमरी से बचाने के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश।

महाशय,

इस वर्ष 2009 में राज्य में मौनसून की स्थिति कमजोर रहने के कारण अधिसंख्य जिले सुखाड़ आपदा से प्रभावित हुए हैं। आपदा प्रबंधन विभागीय अधिसूचना संख्या– 2221/आ0प्र0 दिनांक 10.08.2009 द्वारा 26 जिलों को सूखा आपदा (प्राकृतिक आपदा) प्रभावित जिला घोषित किया गया है। देहाती क्षेत्रों में भूख के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु न हो, इस पर ध्यान देना सरकार का दायित्व है। समाज के सभी वर्गों के लोगों को मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार प्राप्त है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी याचिका संख्या 196/2001 में यह आदेश पारित किया गया है कि किसी भी स्थिति में भूख के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होनी चाहिये।

आपको संबोधित खाद्य एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक– 2172 दिनांक 23.06.09 के माध्यम से भुखमरी से सुरक्षा हेतु प्रत्येक पंचायत में जन–वितरण प्रणाली विक्रेता के पास एक–एक क्वींटल अनाज सुरक्षित रखने का निर्देश दिया गया है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इसे भूख से सुरक्षा हेतु तत्काल उपलब्ध कराया जा सके तथा किसी व्यक्ति की भूख से मृत्यु नहीं होने पाये।

भूख से प्रभावित व्यक्तियों को मुफ्त खाद्यान्न देने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा सुखाड़ (आपदा) प्रभावित जिलों को एक लाख रूपये प्रति प्रखंड की दर से राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। दिनांक 12.11.2009 की आपदा राहत कोष समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में सुखाड़ (आपदा)

27 16

प्रभावित जिलों को पुनः एक लाख रूपये प्रति प्रखंड की दर से आवंटन उपलब्ध कराया जा चुका है ताकि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु भूख के कारण न हो पाए। इसके अतिरिक्त आपदा राहत कोष समिति की बैठक में शेष 12 जिलों को भी एक लाख रूपये प्रति प्रखण्ड की दर से आवंटन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा इन 12 जिलों को अलग से आवंटन भेजा जा रहा है।

अवगत हैं कि साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग (वर्तमान में आपदा प्रबंधन विभाग) के पत्रांक–3070 दिनांक–30.12.2002 द्वारा पूर्व में भी यह संसूचित है कि "कोई भूख से नहीं मरे इसकी जिम्मेवारी मुखिया की होगी"। अतएव जिले के सभी मुखिया/ अंचल अधिकारी को निदेशित किया जाय कि वैसे व्यक्ति जो भूखमरी की स्थिति में आ गये हों, को उपरोक्तानुसार जनवितरण प्रणाली की दूकानों में रखे गए खाद्यान्न में से मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। एक वयस्क को एक दिन में 20/– (बीस रूपये) तथा अवयस्क को एक दिन में 15/– (पन्द्रह रूपये) मूल्य का खाद्यान्न सी0आर0एफ0 के मानदर के अनुसार उपलब्ध कराया जाना है। तद्नुसार भुखमरी से पीड़ित व्यक्तियों/ परिवारों को मुखिया द्वारा जनवितरण प्रणाली के दूकानदार के माध्यम से एक सप्ताह का गेहूँ प्रति वयस्क 10 किलोग्राम तथा प्रति अवयस्क 7 किलोग्राम की दर से अविलम्ब उपलब्ध करवा देना होगा। मुखिया इसकी सूचना भी अविलंब अंचल अधिकारी को भेज देंगे। इस बीच अंचल अधिकारी स्वयं जांच करेंगे तथा आवश्यक होने पर तीन सप्ताह और का अतिरिक्त गेहूँ प्रति वयस्क 3 X 10= 30 किलोग्राम तथा प्रति अवयस्क 3 X 7= 21 किलोग्राम की दर से उक्त व्यक्तियों/परिवारों को उपलब्ध करा देंगे। साथ ही वे इसकी सूचना अविलम्ब अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समाहर्त्ता को भेजेंगे। जन वितरण प्रणाली के दुकानदार से इस निमित्त जो गेहूँ पीड़ित व्यक्तियों को उपलब्ध करवाया जाएगा उसका वर्त्तमान दर रू0 12.55 प्रति किलोग्राम है। इसी दर से उक्त दुकानदार को उपलब्ध कराए गए गेहूँ का मूल्य भुगतेय होगा। वर्त्तमान दर में किसी प्रकार का परिवर्त्तन होने पर उसकी सूचना आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा सभी जिलों को ससमय दी जाएगी।

इस प्रकार मुखिया एवं अंचल अधिकारी द्वारा कुल मिलाकर अधिकतम एक माह के लिए प्रति वयस्क 40 किलोग्राम एवं प्रति अवयस्क 28 किलोग्राम गेहूँ भूखमरी से पीड़ित व्यक्ति को दिया जाएगा। इस अवधि में समाहर्त्ता सुनिश्चित कर लेंगे कि प्रभावित परिवार के वयस्क व्यक्ति को विभिन्न कल्याणकारी श्रम प्रधान

योजनाओं, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (नरेगा) के अन्तर्गत लाभान्वित करा दिया जाय।

इसी अवधि में भूखमरी से प्रभावित वैसे व्यक्ति जो कार्य करने में अक्षम हों अथवा जिन्हें उक्त रोजगार स्कीम के अन्तर्गत काम नही मिल सकता हो, समाहर्त्ता उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत लाभ पहुँचाना सुनिश्चित करेंगे।

प्रमण्डलीय आयुक्त अपनी मासिक बैठकों में भूखमरी से प्रभावित व्यक्तियों को अनाज उपलब्ध कराने की कार्रवाई की विशेष समीक्षा करेंगे तथा एक संक्षिप्त प्रतिवेदन आपदा प्रबंधन विभाग को उपलब्ध करायेंगे। जिला पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी अपने कार्य क्षेत्र में इसकी मासिक समीक्षा करेंगे। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि जिला/ अनुमण्डल/ अंचल के सभी पदाधिकारियों, मुखियाओं एवं आम जनता को सरकार के इस निदेश एवं व्यवस्था की पूर्ण जानकारी रहे।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाए।

विश्वासभाजन
अनूप 13/1/10
(अनूप मुखर्जी)
मुख्य सचिव, बिहार।

ज्ञापांक 198 /आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 14/1/10
प्रतिलिपिः जिलों के प्रभारी सचिव/ प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अनूप 13/1/10
मुख्य सचिव, बिहार।

\\mukul\com d (H)\From April 2009-10\Draft\Drought\Drought- Annabhav Direction 19.11.09.doc